

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये (आई.ई.सी.)राज. जयपुर

क्रमांक :- आई.ई.सी./स्टोर/2016-17/

दिनांक :-

प्रबंधक निदेशक
आर.आई.एस.एल.
योजना भवन, तिलक मार्ग,
जयपुर।

विषय :- लोक सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु आमंत्रित NIB No.1/2016-17 व एनीमेशन
फिल्म निर्माण हेतु आमंत्रित NIB No.2/2016-17 की प्री-बिड मीटिंग बाबत

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित विषयानुसार NIB No.1/2016-17 व एनीमेशन फिल्म निर्माण हेतु
आमंत्रित NIB No.2/2016-17 की प्री-बिड मीटिंग का कार्यवाही विवरण संलग्न कर
प्रेषित किया जा रहा है। कृपया ई E-Proc पर अपलोड कराने का श्रम करावे।

Sd/-
(बी.एल.कोठारी)
निदेशक (आई.ई.सी.)
राजस्थान जयपुर

क्रमांक :- आई.ई.सी./स्टोर/2016-17/661

दिनांक :- 15/7/2016

प्रतिलिपि :-

1. अतिरिक्त निदेशक आई.ई.सी. मुख्यालय जयपुर।
2. सहायक निदेशक आई.ई.सी. मुख्यालय जयपुर।
3. प्रभारी, सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त सूचना विभागीय वेबसाइट तथा
SPPP Portal पर अपलोड करें।

TEAM
(बी.एल.कोठारी)
निदेशक (आई.ई.सी.)
राजस्थान जयपुर

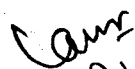
दिनांक 16.06.2016 को आशा कार्यक्रम पर तैयार करवाई जाने वाली एनिमेशन फिल्म के निर्माण हेतु आमंत्रित बिड संख्या 2/2016-17 के लिए राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 22 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 46 के अध्यक्षीन बोली-पूर्व स्पष्टीकरण हेतु बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में निम्न फर्म उपस्थित हुई:-

1. मैसर्स शशि सुमित प्रोडक्शन्स, 1022 ए, हेमकुण्ट चैम्बर्स, नेहरू प्लेस दिल्ली। श्री सेमन्त कपूर
2. मैसर्स बिरला इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी, 27, मालवीय इन्डस्ट्रीयल ऐरिया, जयपुर। डा. विभूति

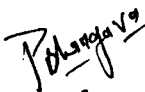
फर्मों द्वारा निम्न सुझाव दिये गये:-

1. फिल्म पात्रों की संख्या का निर्धारण किया जाना उचित होगा, जिससे फिल्म पर होने वाले व्यय का आकलन किया जा सके।
2. टेंडर की शर्त सं. 10(7) में राजकीय उपक्रमों आदि में कार्य करने के अनुभव में शिथिलता देते हुए निजि क्षेत्र में फिल्म निर्माण कार्य का अनुभव जोड़ा जावे तो बिड में पूर्ण प्रतिस्पर्धा हो सकेगी साथ ही कार्य की गुणवत्ता भी बढ़ेगी।
3. निविदा में दिये गये स्कॉप ऑफ वर्क तथा निविदा की राशि के अनुसार 2 डी फिल्म निर्माण करवाया जाना अचित रहेगा।

विभागीय कय समिति ने पारदर्शिता नियम 42(6) के अनुसार दिये गये सुझावों में विभागीय समिति ने क.सं. 1 व 2 को स्वीकृत किया जाने का निर्णय किया गया, किन्तु क.सं. 3 के सुझाव पर विचार कर निर्णय किया कि टेंडर में दर तो सभी तरह की फिल्म की ली जावे, किस तरह की फिल्म बनायी जानी है हेतु निर्णय दरें प्राप्त होने पर किया जावेगा। अन्य सुझाव पर समिति द्वारा कोई निर्णय नहीं किया गया। टेंडर की अन्य शर्तों को यथावत रखा जाता है।

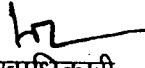

सहायक निदेशक

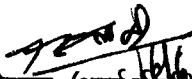

उपनिदेशक


परामर्शद


परिचोपन निदेशक

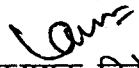
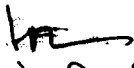
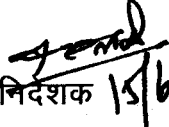
परिचोपन निदेशक
(M.H.)


मुख्य लेखाधिकारी


निदेशक (आई.ई.सी.)

दिनांक 15.06.2016 को आमंत्रित बिड संख्या 1/2016-17 लोक सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 22 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 46 के अध्यक्षीन बोली-पूर्व स्पष्टीकरण हेतु बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में केवल मैसर्स नवजीवन सोसायटी, 19, शर्मा कॉलोनी, 22 गोदाम, जयपुर उपस्थित हुई।

फर्म द्वारा दिये गये सुझाव पताका 'अ' पर संलग्न हैं। उक्त सुझावों में कम संख्या 1 पर दिये गये सुझाव में प्रतिभूति राशि के बतौर बैंक गारन्टी शब्द जोड़ने का सुझाव दिया गया। विभागीय कय समिति ने पारदर्शिता नियम 42(6) के अनुसार दिये गये सुझाव को स्वीकृत किया जाने का निर्णय किया गया। अन्य सुझाव पर समिति द्वारा कोई निर्णय नहीं किया गया।

 सहायक निदेशक  उपनिदेशक  मुख्य लेखाधिकारी  निदेशक 15/6